



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0 /16094 / 04-657-2019 / 2019

दिनांक : 07 नवम्बर, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
हर हर महादेव महिला शिक्षण संस्थान,
मठना, चुनार,
मीरजापुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 09.07.2019 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 एवं सपठित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-16(409)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ता के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पौंच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद	आधार सं०
1.	सुश्री पूजा श्रीवास्तव	श्री लालचन्द्र श्रीवास्तव	03.12.91	नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान	933342302446
2.	डॉ० धर्मेन्द्र कुमार यादव	श्री मन्ना यादव	08.07.81	पी.एच.डी.	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र	295226151058
3.	श्री शैलेश कुमार	श्री राम निवास वर्मा	01.08.88	नेट	प्रवक्ता इतिहास	471695704749
4.	सुश्री संजू यादव	श्री नन्दलाल यादव	15.07.92	नेट	प्रवक्ता हिन्दी	671514634776
5.	श्री अरविन्द कुमार पटेल	श्री अशोक कुमार पटेल	20.07.90	नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र	700976863794
6.	सुश्री श्वेता जायसवाल	श्री सुरेश चन्द्र जायसवाल	02.10.82	नेट	प्रवक्ता भूगोल	596437443188

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। प्रवक्ता के अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय साथ ही सूचित किया जाता है कि प्राचार्य का स्नातक तृतीय श्रेणी एवं अध्यापन अनुभव 15 वर्ष से कम होने के कारण इनका अनुमोदन नहीं किया गया है। कु० अर्चना यादव का नेट सत्यापन हेतु एप्लिकेशन नम्बर उपलब्ध कराने पर सत्यापनोपरान्त अनुमोदन पर विचार किया जायेगा। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै०स०, कुलपति - माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।